(21)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर
//अधिसूचना//

दिनांक 10/9/2013

कमांक एफ 10–11/2013/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तिग्रों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) **योजना का प्रावधान** :–

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना"** होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले प्रवर्ग को सायकल हेतु रूपये 3,000/– अथवा सीएसआईडीसी द्वारा सायकल के लिए निर्धारित दर जो कम हो, प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) **योजना हेतु पात्रता** :–

(i) योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसी भी ज़िले में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत हो, को प्रदाय किया जावेगा।

(ii) पंजीकृत असंगठित कर्मकार राऊत, चरवाहा तथा दूध दुहने वाले वर्ग की आयु 18 से 60 वर्ष आयु समूह।

(iii) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला पंचायत कार्यालय/नगरीय निकाय/श्रम कार्यालय में जमा किया जावेगा।

२५६५
10/9/13

स्वीकृति का अधिकार :-

(i) योजना के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता के जिला पंचायत कार्यालय/नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/नगर निगम आयुक्त/ सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर को प्रेषित् करेगा।

(ii) योजना के अंतर्गत आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार जिला कलेक्टर अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को मान्य होगा।

(ई) **विसंगति का निराकरण :-**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0आर0 मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ.क्रमांक :- एफ 10-11/2013/16 रायपुर, दिनांक 10/9/2013

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. सचिव सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
9. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
10. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
11. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
12. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
13. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग